

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

(फोन- 07574-292250, E-mail-dcourthos-mp@nic.in)

//परिपत्र//

क्रमांक 21/दो-12-5/87

नर्मदापुरम दिनांक-14/07/2026

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के द्वारा प्रस्तुत आकस्मिक/ऐच्छिक/अर्जित/लघुकृत अवकाश आवेदन पत्र पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा **"वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने"** की टीप अंकित कर आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाते हैं, जो कि उचित नहीं है।

वर्तमान में इस स्थापना पर कर्मचारीगण की कमी होने से अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना संभव नहीं होता है।

अतः समस्त पीठासीन न्यायाधीश को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके अधिनस्थ पदस्थ कर्मचारीगण के अवकाश के आवेदन पत्र पर, उक्त कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जावेगी, को ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की स्पष्ट अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र अग्रेषित करें।

उक्त परिपत्र का कड़ाई के साथ पालन किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

क्रमांक 3154/दो-12-5/87

नर्मदापुरम दिनांक-14/07/2026

प्रतिलिपि यथानिर्देश:-

- 1- समस्त न्यायिक अधिकारीगण नर्मदापुरम/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ
- 2- प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग नर्मदापुरम/इटारसी/पिपरिया सोहागपुर/सिवनी मालवा की ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- जेएसए कम्प्यूटर अनुभाग नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ईमेल से प्रेषित किये जाने हेतु।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)